प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या–सम्ब0 626/सत्तर–6–2013–26(13)/2013

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग–6

विषय– महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

लखनऊ : दिनांक : 16 नवम्बर, 2013

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–पू0वि0वि0/सम्बद्धता/03–87(एक)/2013/2630, दिनांक 26.10.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन सर्व सेवा महाविद्यालय, आबादान, बैरान, गाजीपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र एवं गृह विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010–11, 2011–12 एवं 2012–13 की अर्थात् दिनांक 01–07–2010 से दिनांक 30–06–2013 तक की कार्योत्तर स्वीकृति तथा दिनांक 01–07–2013 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
2. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20–12–2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जाये।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

संख्या–सम्ब0 626(1)/सत्तर–6–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
3. प्रबन्धक/सचिव, सर्व सेवा महाविद्यालय, आबादान, बैरान, गाजीपुर।
4. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।